

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-1) विभाग

गृह (गुप-6) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर  
डायरी संख्या 2628  
दिनांक 28/7/2022

क्रमांक-प. 5(6)गृह-1/2020

जयपुर, दिनांक : 26.07.2022

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2020-21 की रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.01.2021 के समय श्री महमूद खान, आरपीएस निलम्बित होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इनकी पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई।

श्री महमूद खान, आरपीएस को कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2)(72)का/क-3/शिका./2019 दिनांक 10.06.2022 के द्वारा निलम्बन से बहाल किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2020-21 की दिनांक 21.01.2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री महमूद खान, आरपीएस (सामान्य) को राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2020-21 में रिक्ति दिनांक 01.11.2020 के प्रति एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री खान, आरपीएस की वरिष्ठता श्री राकेश पाल/चतुर्भुज, (सामान्य) के नीचे एवं श्री दिनेश कुमार/घनश्याम, (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। श्री महमूद खान, आरपीएस अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा श्री खान का रिक्ति दिनांक 01.11.2020 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।


राज्यपाल की आज्ञा से,

  
( जगवीर सिंह )

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह-प्रथम।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (गुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस